मध्य प्रदेश शासन
ग्रामोद्योग विभाग

क्रमांक: 4755 /245-धी/52/91 भोपाल, दिनांक: 7 दिसम्बर, 27-1-92

प्रति,

आयुक्त,
हाथकरघा संचालनालय,
म०प्र० भोपाल.

विषय:- वित्तीय आधार सुदृढीकरण योजनांतर्गत पावरलूम बुनकर सहकारी संघ एवं प्राथमिक पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों हेतु नियम (1, 2, 3 व 4) 1991 की स्वीकृति बाबत्.

संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्र० हा/पी.ए/टेक्स/यो/91/5442, दिनांक 30.8.91

राज्य शासन द्वारा वित्तीय आधार सुदृढीकरण योजनांतर्गत पावरलूम बुनकर सहकारी संघ/प्राथमिक पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों हेतु निम्नांकित नियमों की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1. शासकीय धनवेष्ठन नियम 1991
2. अंश पूंजी ऋण नियम 1991 — नियमों की प्रति
3. मार्जिन मनी ऋण नियम 1991 — संलग्न है।
4. ब्याज अनुदान नियम 1991

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्र० 41/5-565/91/ब-2/
6/8 दिनांक 25-1-92 द्वारा महालेखाकार, म०प्र० को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय जोशी)
उप सचिव
म०प्र०शासन, ग्रामोद्योग विभाग.

पृ०क्र० /245-धी/52/91 भोपाल, दिनांक: दिसम्बर, 91

प्रतिलिपि:-
1. सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग की ओर अतिरिक्त प्रतियां संलग्न कर महालेखाकार, म०प्र० की ओर पृष्ठांकन हेतु प्रेषित.
2. (अ) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी), प्रथम, म०प्र० ग्वालियर
(ब) महालेखाकार, (लेखा व परीक्षा), प्रथम, म०प्र० ग्वालियर.

नियम क्रमांक -4-{ब्याज अनुदान}

1. नाम:- वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत ये नियम पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों/संघ को बैंक से रियायती ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने हेतु म0 प्र0 राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान प्रदाय करने के संबंधी नियम 1991 कहलायेंगे।

2. उद्देश्य:- वित्तीय आधार सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों/संघ को रियायती ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना जिससे उनके उत्पादन की लागत कीमत में कमी हो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है।

3. परिभाषा:- {1} पावरलूम बुनकर सहकारी संस्थाओं से तात्पर्य म0 प्र0 राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति से है जो पावरलूम वस्त्र उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न हैं।

{2} वित्त दाता बैंक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारी बैंक।

{3} रियायती ब्याज दर से तात्पर्य वह ब्याज दर जो नाबार्ड द्वारा पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित हो।

{4} प्रचलित ब्याज दर से तात्पर्य बैंकों द्वारा पावरलूम समितियों/संघ को प्रदाय किये जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण पर लिये जाने वाली ब्याज दर से है।

4. वित्तदाता:- बैंको को ब्याज अनुदान निम्न हेतु उपलब्ध होगा:-

{1} पावरलूम बुनकर सहकारी समितियां प्राथमिक इकाई हो या शीर्ष {फैडरेशन} इकाई हो।

{2} पावरलूम बुनकर सहकारी समितियां उत्पादन सह विपणन कार्य करती हो, और इन्हीं कार्यों हेतु दिये गये एवं उपयोग हेतु ऋण पर।

{3} ऋण नगद साख {क्लीन}{टाईपोथिकेशन अथवा प्लेज के रुप में अथवा ओव्हर ड्राफ्ट के रुप में हो।

{4} ऋण जो कालातीत न हो अर्थात् चालू वर्ष में ......

स्वीकृत हुये हो, जिनका नवीनीकरण हुआ ...

§5§ परिसमापन अन्तर्गत पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों/संघ को दिये गये ऋण पर परिसमापन में लाये जाने के दिनांक से ब्याज अनुदान सहायता बन्द हो जायेगी ।

5. सहकारी बैंक को प्राथमिकता

पावरलूम बुनकर सहकारी समिति/संघ अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों अथवा म0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु करें ।

6. ब्याज अनुदान मात्रा:

वित्तदाता बैंक पावरलूम बुनकर समिति/संघ को नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ऋण देगें और इस योजनान्तर्गत वित्तदाता बैंक अपने व शीर्ष बैंक के हैंडलिंग चार्जेस राज्य शासन से तीन प्रतिशत की दर से क्लेम करेंगें । ब्याज अनुदान मांग पत्रक आयुक्त/संचालक हाथकरघा म0 प्र0 को जिले के सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा ।

7. ब्याज अनुदान हेतु आवेदन एवं वितरण की राशि

§1§ वित्तदाता बैंकों को इन नियम के परिशिष्ट "अ" के प्रारूप पर ब्याज अनुदान मांग पत्रक के साथ समितियों के ऋण खातों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर जिले के सक्षम अधिकारी को प्रत्येक तिमाही के अथवा अर्ध. वार्षिक की समाप्ति के एक माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा । समुचित कारण होने की स्थिति में सक्षम विभागीय अधिकारी इस अवधि में छूट दे सकेंगे

§2§ ब्याज अनुदान मांग पत्रक के निर्धारित प्रारूप पर अंकित प्रमाण-पत्र वित्तदाता बैंकों के व्यवस्थापक सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा ।

§3§ जिले के सक्षम विभागीय अधिकारी ब्याज अनुदान मांग का सत्यापन कर स्वीकृति हेतु आयुक्त/संचालक [illegible] म0 प्र0 को प्रस्तुत करेंगें । स्वीकृत अनुदान राशि वित्तदाता बैंकों को जिले के सक्षम विभागीय अधिकारी के माध्यम से वितरित की जावेगी । स्वीकृत राशि प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आयुक्त/संचालक को [illegible] की जानकारी भेजेंगें ।

(4) वित्तदाता बैंकों को ब्याज अनुदान राशि प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर राशि प्राप्ति की पावती तथा अनुदान राशि संबंधित समितियों को जमाकर देने का प्रमाणीकरण सक्षम विभागीय अधिकारी को देना होगा । सक्षम विभागीय अधिकारी बैंक से प्राप्त अनुदान राशि प्राप्ति की पावती तथा इन नियमों के संलग्न परिशिष्ट (ब) के प्रारूप पर अनुदान की उपयोगिता का प्रमाणीकरण आयुक्त/संचालक हाथकरघा को भेजेंगे ।

8. ब्याज अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी. — किसी एक बैंक को तिमाही ब्याज अनुदान राशि निम्नांकित सीमा तक स्वीकृति करने का अधिकार निम्नांकित अधिकारियों को होगा :-

1. रुपये, 5,000/- तक सहायक संचालक हाथकरघा
2. रुपये, 10,000/- तक उप पंजीयक सह संचालक हाथकरघा
3. रुपये, 20,000/- तक संयुक्त संचालक सह संयुक्त पंजीयक हा०
4. रुपये, 50,000/- तक आयुक्त/संचालक हाथकरघा म० प्र०
5. रुपये, 50,000/- से अधिक। राज्य शासन, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग की सहमति से ।

9. राज्य शासन बाबत् निर्णय का अधिकार. — इन नियमों के अन्तर्गत सहायता की पात्रता संबंधी कोई भी विवाद हो, उस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

---x---